न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 27/2020 वाद

1. ओकेश पिता रमेश ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
2. राकेश पिता रमेश ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।

— वादीगण

//बनाम//

1. रमेश पिता निमतलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
2. अन्नु पुत्री रमेश ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
3. मन्जु पुत्री रमेश ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
4. सरोज पुत्री रमेश ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

— प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

श्री जगदीश मेनारिया, अधिवक्ता वादीगण, उपस्थित

श्री योगन्द्र सोलंकी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण, उपस्थित

निर्णय **दिनांक 26.06.2020**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा भावलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 299 की आराजी नं. 178 रकबा 0.36 हैक्टेयर, आराजी नं 179 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नं. 514 रकबा 2.0300 हैक्टेयर, आराजी नं. 740 रकबा 1.7000 हैक्टेयर कुल कीता 4 कुल रकबा 4.15 हैक्टैयर तथा खाता संख्या 233 की आराजी नं. 203, 204, 206, 208, 737, 738 कुल कीता 6 कुल रकबा 3.200 हैक्टैयर तथा खाता संख्या 298 की आराजी 866 रकबा 0.0100 हैक्टैयर, आराजी नं. 868 रकबा 1.4700 कुल कीता 2 कुल रकबा 1.4800 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादीगण का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है—

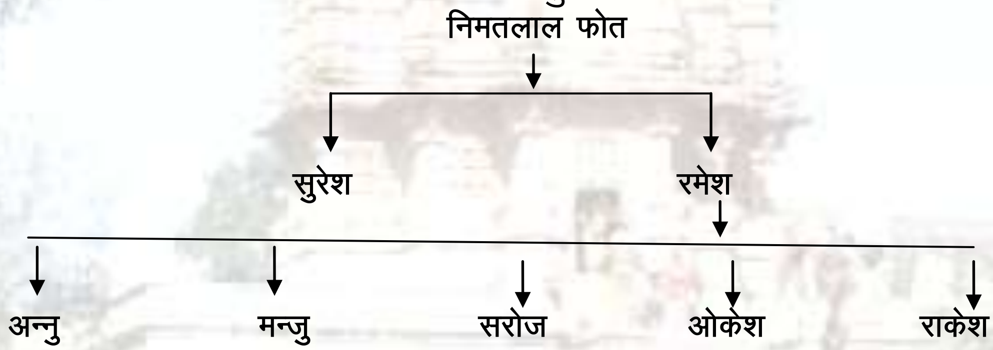

निमतलाल जी मूल पुरुष थे जिनके सुरेश व रमेश हुए। रमेश के दो पुत्र ओकेश, राकेश, तथा तीन पुत्रियां अन्नु, मन्जु, व सरोज हुई।

उक्त वर्णित आराजीयात निमितलाल जी के जमाने से ही चली आ रही है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के यहां जन्म लेते ही हक अधिकार निहित हुए तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हक हिस्सा निहित है। इसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से इसी अनुसार अपना हिस्सा नाम कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये इसलिए मजबुरन वादीगण को यह दावा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री किया जावे तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हक हिस्सा विवादित भूमि में घोषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा वादीगण के कथनों को स्वीकार करते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया। उभय पक्ष ने राजीनामें अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम भावलिया की खाता संख्या 299, 233 व 298 की प्रतियां प्रस्तुत की है। राजस्व रेकार्ड अनुसार उक्त विवादि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रमेशचन्द्र पिता निमतलाल के नाम दर्ज रेकार्ड है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में सगे भाई बहिन होकर प्रतिवादी संख्या 1 की जाइन्दा संतान है। विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है जो उक्त भूमि को पुश्तैनी स्वीकार करते हुए अपनी संतानों को बराबर बराबर हक हिस्सा देने हेतु सहमत है। वादीगण का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादीगण राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा भावलिया की खाता संख्या 299 की आराजी नं. 178 रकबा 0.36 हैक्टेयर, आराजी नं 179 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नं. 514 रकबा 2.0300 हैक्टेयर, आराजी नं. 740 रकबा 1.7000 हैक्टेयर कुल कीता 4 कुल रकबा 4.15 हैक्टैयर तथा खाता संख्या 233 की आराजी नं. 203, 204, 206, 208, 737, 738 कुल कीता 6 कुल रकबा 3.200 हैक्टैयर तथा खाता संख्या 298 की आराजी 866 रकबा 0.0100 हैक्टैयर, आराजी नं. 868 रकबा 1.4700 कुल कीता 2 कुल रकबा 1.4800 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 का 1/6, वादी संख्या 2 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 26.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 27/2020 वाद

1. ओकेश पिता रमेश ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
2. राकेश पिता रमेश ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।

– वादीगण

//बनाम//

1. रमेश पिता निमतलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
2. अन्जु पुत्री रमेश ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
3. मन्जु पुत्री रमेश ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
4. सरोज पुत्री रमेश ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

प्रकरण में आज दिनांक को वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश मेनारिया की तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सोलंकी की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस के लिए प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीगण राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा भावलिया की खाता संख्या 299 की आराजी नं. 178 रकबा 0.36 हैक्टेयर, आराजी नं 179 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नं. 514 रकबा 2.0300 हैक्टेयर, आराजी नं. 740 रकबा 1.7000 हैक्टेयर कुल कीता 4 कुल रकबा 4.15 हैक्टैयर तथा खाता संख्या 233 की आराजी नं. 203, 204, 206, 208, 737, 738 कुल कीता 6 कुल रकबा 3.200 हैक्टैयर तथा खाता संख्या 298 की आराजी 866 रकबा 0.0100 हैक्टैयर, आराजी नं. 868 रकबा 1.4700 कुल कीता 2 कुल रकबा 1.4800 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 का 1/6, वादी संख्या 2 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। **बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।**

यह आज तारीख 26.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.06 15:01:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: